

पैकिंग ऋण गारंटी
Packing
Credit Guarantee (PCG)



भारतीय निर्यात ऋण
गारंटी निगम लिमिटेड
EXPORT CREDIT GUARANTEE
CORPORATION OF INDIA LTD.

(भारत सरकार का उद्यम)
(A Government of India Enterprise)

आप निर्यात पर ध्यान केंद्रित करें, हम जोखिमों में रक्षा प्रदान करेंगे।
You focus on exports. We cover the risks.

अनुसूची में शामिल बीमाकृत संस्था को निर्यात ऋण गारंटी निगम लिमिटेड (जिसे इसके बाद "निगम" कहा गया है) द्वारा जारी की गई गारंटी।

Issued by the EXPORT CREDIT GUARANTEE CORPORATION OF INDIA LIMITED (hereinafter called 'the CORPORATION') to the INSURED named in the SCHEDULE.

चूंकि बीमाकृत संस्था ने लिखित रूप में निगम से यह अनुरोध करते हुए प्रस्ताव किया है कि उसकी उस हानि के 66.2/3 प्रतिशत के लिए बीमा किया जाए जो इसमें बाद में उल्लिखित कतिपय कारणों से बीमाकृत संस्था को हो सकती है और जो उसे अनुसूची में नामित निर्यातक/निर्माता को ऋण मंजूर करने और / अथवा अग्रिम प्रदान करने में निहित हो।

WHEREAS the INSURED has made a Proposal in writing requesting the Corporation to insure him against 66.2/3% of the loss which he may sustain by reasons of certain risks hereinafter mentioned which may be involved in his granting credits and/or making advances to the EXPORTER/MANUFACTURER named in the SCHEDULE.

अतः अब अनुसूची में विहित प्रीमियम की अदायगी के प्रतिफल में निगम एतद्वारा बीमाकृत संस्था को इस गारंटी में दिए गये उपबंधों, दी गई शर्तों और परिभाषाओं सहित गारंटी के सभी निबंधनों और उसकी सभी शर्तों के अधीन हानि की राशि के 66.2/3 प्रतिशत का बीमा करता है जो बीमाकृत संस्था को किसी निर्यातक/निर्माता के बीमाकृत ऋण को अपनी शोधन क्षमता अथवा अपनी लगातार चूक के कारणों की वजह से चुकाने में असमर्थ होने के कारण हुई हो और यह गारंटी अधिकतम _____ रूपये _____ (रूपये मात्र) तक होगी और इसे इसके बाद अधिकतम देयता कहा जाएगा।

बीमाकृत संस्था को निर्यातक/निर्माता द्वारा निर्यात के जिस माल के लिए ऋण और अग्रिम दिए गए हैं उसके प्रलेखों की सुपुर्दगी निर्यातक / निर्माता द्वारा बीमाकृत संस्था को की गई अदायगी मानी जायेगी।

इस गारंटी में बीमाकृत संस्था द्वारा दिये गये / अथवा प्रदान किये गये किन्हीं भी ऋणों और / अथवा अग्रिमों का उतना भाग होगा जो बीमाकृत संस्था द्वारा निर्यातक / निर्माता को गारंटी की अवधि के दौरान बिक्री की किसी संविदा/कारर के अंतर्गत भारत से निर्यात किए जाने वाले माल के निर्माण और/अथवा खरीद के अभिस्करण और/अथवा पैकिंग के लिए दिया गया हो।

NOW THEREFORE in consideration of the payment of premiums specified in the SCHEDULE, the CORPORATION hereby insures the INSURED SUBJECT to all the terms of this GUARANTEE including provisos, conditions and definitions herein contained against 66.2/3% of the amount of loss which may be sustained by the INSURED due to the failure of the EXPORTER/MANUFACTURER by reasons of his INSOLVENCY OR PROTRACTED DEFAULT to pay to the INSURED any INSURED DEBT subject to maximum of Rs. _____

Rupees _____
_____only)hereinafter

referred to as the Maximum Liability. Delivery by the EXPORTER/MANUFACTURER to the INSURED of documents of export of goods for which the credit has been given and/or advances have been made shall be deemed to be payment by the EXPORTER/MANUFACTURER to the INSURED. "INSURED DEBT" shall in this GUARANTEE mean so much of any credit and/or advances granted or made by the INSURED to the EXPORTER/MANUFACTURER during the period of the GUARANTEE for the manufacture and/or purchase and/or processing and/or packing of goods to be exported out of India under a Contract or agreement for sale.

परंतुक्त :

PROVISOS :

1. "बीमाकृत संस्था" का यह कर्तव्य होगा कि वह उक्त ऋण और अग्रिमों के संबंध में जहाँ कहीं आवश्यक हो वहाँ अपने द्वारा धारित जमानतों को सुरक्षित रखने और उनको लागू करने तथा निर्यातक/निर्माता के खातों की समय समय पर परीक्षा और जाँच करने सहित निर्यातक/निर्माता को ऋण और/अग्रिम प्रदान करने, और प्रदान किए गए ऋण अथवा दिए गए अग्रिम की अवधि बढ़ाने तथा निर्यातक/निर्माता को ऋण/अथवा अग्रिमों का दिया जाना बंद करने में उचित सावधानी और दूरदर्शिता बरतनी होगी। बीमाकृत संस्था को उस समय तक सभी आवश्यक सावधानी और दूरदर्शिता बरतनी होगी जब तक ऐसे ऋण अथवा अग्रिम चुका नहीं दिये जाते।

1. It shall be the duty of the INSURED to exercise reasonable care and prudence in granting credits and/or advances, in extending the period of credit granted or advances made and in withholding credits and/or advances from the EXPORTER/MANUFACTURER including the examinations and checking up of the account of the EXPORTER/MANUFACTURER from time to time and also safeguarding and whenever necessary enforcing of the securities held by the INSURED for and in connection with the said credits and advances. The INSURED shall continue to exercise all the necessary care and prudence until such credits and/or advances are repaid.

2. "बीमाकृत संस्था" अपने खाते में बीमा न की गई इतनी मात्रा में निम्नलिखित राशियाँ बनाये रखेगा :

2. The INSURED shall retain for his own account and uninsured :

(क) जितनी मात्रा में बीमाकृत हानि (जिसकी परिभाषा इसमें बाद में की गई है) उक्त बीमाकृत प्रतिशत (अर्थात् 66.2/3 प्रतिशत) से अधिक होती है।

(ख) जितनी मात्रा में बीमाकृत संस्था की हानि इस गारंटी के अधीन अधिकतम देयता से अधिक होती है।

(a) so much of the INSURED'S LOSS as hereinafter defined as exceeds the said INSURED PERCENTAGE i.e. 66.2/3% and

(b) so much of any balance loss of the INSURED (as exceeds the Maximum Liability under this GUARANTEE).

3. बीमाकृत संस्था निगम की लिखित रूप में पूर्व अनुमति के बिना किसी बीमाकृत ऋण को अदायगी की निर्धारित तारीख को स्थगित करने के लिए तैयार नहीं होगा। इस प्रकार की पूर्व अनुमति उस स्थिति में आवश्यक नहीं होगी जब बीमाकृत ऋण को कुल अवधि ऋण दिए जाने और/अथवा अग्रिम प्रदान किये जाने की तारीख से एक सौ अस्सी दिनों से अधिक न हो।

इस पर भी बीमाकृत संस्था निर्धारित तारीख में ऐसे किसी स्थान की सूचना उन कारणों का उल्लेख करते हुए निगम को देगी जिनकी वजह से ऐसा स्थान किया गया है और यह सूचना निर्धारित तारीख में स्थान की अनुमति प्रदान किये जाने की तारीख से 30 दिनों के भीतर दी जानी चाहिए।

3. The INSURED shall not agree to postponement of the due date for payment of any INSURED DEBT without the prior consent in writing of the Corporation.

Such prior consent shall not be required if the total period of credit in respect of the INSURED DEBT does not exceed one hundred and eighty days from the date the credit is granted and/or the advances is made.

The INSURED shall, however inform the Corporation of any such postponement of the due date stating the reasons for such

postponement within 30 days from the date of granting the postponement of the due date.

4. बीमाकृत संस्था द्वारा किया गया प्रस्ताव बीमाकर्ता और निगम द्वारा गारंटी में दी गई संविदा के सार के रूप में स्पष्टतः स्वीकार किया गया है और गारंटी स्वीकार करके बीमाकृत संस्था यह आश्वासन देती है कि प्रस्ताव की तारीख का और जिस तारीख को निगम ने गारंटी जारी करने की सहमति दी थी उस तारीख को प्रस्ताव में दिए गए विवरण उसके सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सही थे परंतु इस आश्वासन का यह अर्थ न लगाया जाए कि निगम को समय समय पर सभी महत्वपूर्ण परिस्थितियों के प्रगटन और सामान्यतः सभी समय अत्यधिक सद्भाव का पालन करने तथा गारंटी के अधीन निगम की देयता को किसी भी प्रकार से प्रत्यक्षतः या परोक्षतः प्रभावित करने वाले सभी तथ्यों के बारे में उसे जानकारी होने पर वह तुरन्त ही उनके प्रगटन के संबंध में विधि द्वारा लगाए गए दायित्वों को सीमित नहीं करेगा और प्रस्ताव में दिया गया कोई भी विवरण किसी भी तरह से गलत या झूठा हो तो यह गारंटी शून्य हो जाएगी परंतु निगम ऐसे किसी प्रीमियम को प्रतिधारित (रिटैन) कर सकता है जो अदा कर दिया गया हो।
4. The proposal made by the INSURED is expressly accepted by the INSURED and the CORPORATION as being the essence of the GUARANTEE the INSURED warrants that to the best of his knowledge and belief the statements made in the proposal were true at the date of the proposal and at the date when CORPORATION agreed to issue the GUARANTEE immediately on his CORPORATION under this GUARANTEE immediately on his becoming aware thereof and if any of the statements contained in the proposal be untrue or incorrect in any respect, this GUARANTEE shall be void but the CORPORATION may retain any premium that has been paid.
5. इस गारंटी की शर्त संस्था 2 के अनुसार प्रीमियम को निर्धारित अदायगी तथा गारंटी को अन्य सभी शर्तों का पालन निगम की किसी देयता की पूर्ववर्ती शर्तें हैं।
5. Due payment of the premium as per condition No.2 of this guarantee and at the rate specified in the schedule and observance of all the other terms of the GUARANTEE are conditions precedent to any liability of the CORPORATION.
6. यदि बीमाकृत संस्था किसी भी प्रकार से कोई झूठा या कपटपूर्ण दावा करती है तो गारंटी शून्य हो जाएगी तथा उसके अधीन सभी दावे सामान्य हो जायेंगे, तथा निगम द्वारा गारंटी के अधीन पहले अदा की गई कोई भी राशि बीमाकृत संस्था द्वारा तत्काल चुकाने योग्य हो जायेगी तथा निगम को यह हक होगा कि वह बीमाकृत संस्था द्वारा प्रीमियम के रूप में अथवा अन्यथा की गई सभी अदायगियों को अपने पास रोक ले।
6. If the INSURED makes in any way any false or fraudulent claim the GUARANTEE shall become void and all claims under it shall be forfeited and any sums previously paid by the Corporation under the GUARANTEE shall forthwith become repayable and shall forthwith be repaid by the INSURED to the CORPORATION and the CORPORATION shall be entitled to retain all payments made to it by way of premium or otherwise.
7. बीमाकृत संस्था गारंटी के अधीन उस समय तक किसी अधिकार को समनुदेशित नहीं करेगी जब तक निगम की लिखित सहमति पहले ही प्राप्त न कर ली गई हो और निगम द्वारा समनुदेशन के स्वरूप (फॉर्म) का लिखित रूप में अनुमोदन न कर दिया गया हो तथा ऐसी सहमति अथवा अनुमोदन को पहले ही प्राप्त किये बिना बीमाकृत संस्था द्वारा किया गया दावा अथवा किये जाने के लिए प्रस्तावित कोई समनुदेशन निगम को यह अधिकार देगा कि वह गारंटी को शून्य कर दे।
7. The INSURED shall not assign any rights under the GUARANTEE unless the consent in writing of the CORPORATION has been first obtained and the form of assignment has been approved in writing by the CORPORATION and any assignment made or proposed to be made by the INSURED without such consent and approval having been first obtained shall entitle the CORPORATION to avoid the GUARANTEE.

शर्तें

CONDITIONS

घोषणाएँ

DECLARATIONS

1. बीमाकृत संस्था प्रत्येक माह की 10 तारीख को या उससे पहले निगम द्वारा निर्धारित फॉर्म में निर्यातक/निर्माता को पूर्वगामी कैलेंडर माह में दिए गए सभी ऋणों और/अथवा अग्रिम दी गई राशियों तथा बीमाकृत संस्था द्वारा निर्यातक/निर्माता से प्राप्त सभी अदायगियों के विवरण की लिखित रूप में घोषणा करेगा। इन घोषणाओं का निगम को उस समय तक भेजा जाना जारी रखा जाएगा जब तक पूरा ऋण चुका नहीं दिया जाता और यदि किसी माह में कोई अग्रिम प्रदान न किए गए हों और/अथवा कोई ऋण न दिया गया हो तो भी "कुछ नहीं" घोषणा फाइल करनी होगी।
1. On or before the 10th day of every month the INSURED shall declare in writing to the CORPORATION on the form prescribed by the CORPORATION a statement of all credits granted and/or amounts advanced to and payments received by the INSURED from the EXPORTER/MANUFACTURER in the preceding calendar month. Such declarations shall continue to be sent to the Corporation until the entire debt has been repaid; even if no advances are granted and/or no credits are outstanding in a month, a 'Nil' declaration shall nevertheless be filed.

प्रीमियम

PREMIUM

2. इस गारंटी के अधीन देय प्रीमियम का हिसाब पूर्वगामी माह के किसी दिन की बकाया अधिकतम राशि पर अनुसूची में निर्धारित दरों से लगाया जाएगा। प्रीमियम की देय राशि उसमें इसके पहले दी गई शर्त संख्या (1) के अधीन घोषणा प्रस्तुत करते समय अदा की जाएगी परंतु शर्त यह है कि ऐसा प्रीमियम उस पूरे -माह के लिए अदा किया जाएगा जिसके दौरान शोधन अक्षमता (इनसॉल्वेंसी) हुई हो परंतु उसके बाद उसको अदायगी नहीं की जाएगी अथवा, प्रीमियम की अदायगी ऐसे पूरे माह के लिए की जाएगी जिसके दौरान बीमाकृत संख्या द्वारा ऋण की अदायगी, यथास्थिति, निर्धारित तारीख अथवा बढ़ाई गई निर्धारित तारीख को न की गई हो परंतु उसके बाद प्रीमियम अदा नहीं किया जाएगा।
2. The premium payable under this GUARANTEE shall be calculated on the highest amount outstanding on any day during the preceding month at the rate specified in the SCHEDULE. The amount of premium payable shall be paid while submitting the declaration under condition No. (1) hereinbefore, PROVIDED THAT such premium shall be paid for the whole of the month during which the insolvency occurred but not thereafter, or for the whole of the month during which the insolvency occurred but not thereafter, or for the whole of the month during which non-payment of the INSURED DEBT occurred on the due date or the extended due date as the case may be but not thereafter.

अदायगी की निर्धारित तारीख

DUE DATE OF PAYMENT

3. (1) निगम पर निर्धारित तारीख को बढ़ाने का किसी भी प्रकार का कोई भी दायित्व नहीं होगा। हाँ, निगम अपने पूर्ण विवेक से ऐसी शर्तों पर निर्धारित तारीख में वृद्धि की मंजूरी दे सकता है जिन्हें वह लिखित रूप में लगाना ठीक समझे।
- (2) "अदायगी की निर्धारित तारीख" शब्दों में किसी मामले में बीमाकृत संस्था द्वारा निगम को लिखित रूप से प्राप्त सहमति से अदायगी का समय बढ़ाया गया हो अथवा परंतुक 3 के अधीन बीमाकृत संस्था को प्रदान किए गए विवेक के अनुसरण में जिस समय तक अवधि बढ़ाई गई हो वह तारीख शामिल होगी अथवा शामिल मानी जाएगी जिस समय तक समय बढ़ाया गया हो।
- (i) The Corporation shall be under no obligation whatsoever to extend the due-date. The Corporation may, however, in its sole discretion grant an extension of the due date upon such terms and conditions as it may think fit to impose in writing.

(ii) The words "due date of payment", shall include and shall be deemed to include in any case where the time of payment has been extended by the INSURED with the consent in writing of the CORPORATION or in pursuance of the discretion granted to the INSURED under proviso 3 the date to which the time has been so extended.

परामर्श

CONSULTATION

4. किसी बीमाकृत ऋण के यथास्थिति निर्धारित तारीख को अथवा बढ़ाई गई निर्धारित तारीख को अदा न किये जाने की स्थिति में अथवा निर्यातक/निर्माता के बारे में बीमाकृत संस्था को किसी भी समय यह मालूम होने पर कि वह वित्तीय कठिनाईयों में है, बीमाकृत संस्था निगम को इसकी तुरन्त अधिसूचना देनी और वह ऐसी किसी हानि के संबंध में सभी आवश्यक कार्रवाई करेगी जो बीमाकृत संस्था को हुई हो अथवा हो सकती हो और ऐसी कार्रवाई में निगम द्वारा बीमाकृत संस्था ने हानि कम करने के लिए अथवा निर्यातक/निर्माता से बकाया राशि की वसूली के लिए जो कार्रवाई करने की अपेक्षा की जाए वह भी शामिल होगी चाहे वह कानूनी या अन्यथा हो ।
4. In the event of an INSURED DEBT not being paid on the due date or the extended due date, as the case may be, or in the event of the EXPORTER/MANUFACTURER being at any time to the knowledge of the INSURED in financial difficulties, the INSURED shall notify the CORPORATION immediately and shall take all steps necessary in connection with any loss which the INSURED may have incurred or likely to incur including all such steps whether legal or other as the minimising the loss or for recovery of the amount due from the EXPORTER/MANUFACTURER.

दावे

CLAIMS

5. निर्यातक/निर्माता की शोधन-अक्षमता अथवा दीर्घकालीन चूक होने पर बीमाकृत संस्था को यह हक होगा कि वह ऐसी किसी शोधन-अक्षमता अथवा दीर्घकालीन चूक के कारण किसी बीमाकृत ऋण के संबंध में गारंटी के अधीन दावा करे और निगम उसके बाद (गारंटी की शर्त 6 और 7 के उपबंध के सदैव अधीन रहते हुए तथा किसी अंतरिम अदायगी और वसूली का हिसाब लगाने के बाद (बीमाकृत संस्था को इस गारंटी के अधीन अधिकतम देयता के अंतर्गत बीमाकृत हानि का 66 2/3 प्रतिशत अदा करेगा ।
5. Upon the occurrence of INSOLVENCY or PROTRACTED DEFAULT of the EXPORTER/MANUFACTURER the INSURED shall be entitled to make a claim under the GUARANTEE in respect of any INSURED DEBT arising by reason of such INSOLVENCY or PROTRACTED DEFAULT and (subject always to the provisions of conditions 6 and 7 of the GUARANTEE and after taking into account any interim payments and recoveries) the CORPORATION shall thereafter pay to the INSURED 66.2/3% of the INSURED'S LOSS, subject to the Maximum Liability under this GUARANTEE.
- (क) जहाँ हानि शोधन-अक्षमता के कारण हुई हो वहाँ जब तक निगम द्वारा लिखित रूप में अन्यथा सहमति न हो गई हो वहाँ आदायगी की निर्धारित तारीख से 4 महिने बाद अथवा के बीमाकृत संस्था के पक्ष में शोधन-अक्षमता वाले व्यक्तियों/ वाली फार्मों की जायदाद के विरुद्ध स्वीकार किए जाने के एक महीने बाद, इन में से जो भी पहले हो, उसके बाद निगम द्वारा अदायगी की जाएगी परन्तु शर्त यह है कि (1) बीमाकृत संस्था निगम की राय में इस आशय का ऐसा संतोषजनक साक्ष्य निगम को सौंपेगी कि बीमाकृत संस्था ने निर्यातक/निर्माता की ऐसी शोधन-अक्षमता के बारे में दावा फाईल किया है और (2) वह निगम को ऐसी घोषणा लिखित रूप में दें कि उसने ऐसी कोई भी बात नहीं की है और न ही छोड़ी है जिससे ऐसी शोधन-अक्षमता में न्यायालय द्वारा ऐसे दावे के अस्वीकार किए जाने की संभावना हो ।
- (ख) दीर्घकालीन चूक के मामले में, यथास्थिति, निर्धारित तारीख अथवा बढ़ाई गई निर्धारित तारीख के 4 महीनों की समाप्ति के बाद तुरन्त ही दावे की अदायगी की जाएगी परंतु यह शर्त हमेशा होगी कि निगम किसी हानि के लिए उस समय तक उत्तरदायी नहीं होगा जब तक बीमाकृत संस्था द्वारा अदायगी की निर्धारित तारीख से 4 महिनों के भीतर निर्धारित फार्म पर लिखित रूप में निगम से हानि के लिए दावा नहीं कर दिया जाता ।

(a) Where the loss is due to insolvency, unless otherwise agreed to in writing by the CORPORATION, four months after the due date of payment or one month after the loss has been admitted to rank against the INSOLVENT'S Estate in favour of the INSURED whichever of the two dates is earlier provided that (1) the INSURED shall deliver to the CORPORATION evidence satisfactory in the opinion of the CORPORATION that the INSURED has filed his claim with the official receiver in such INSOLVENCY of the EXPORTER/MANUFACTURER and (2) that he shall deliver to the CORPORATION a DECLARATION in writing that he has done or omitted nothing whereby such claim is liable to be rejected by the COURT in such INSOLVENCY .

(b) In the case of protracted default immediately after the expiry of four months from the due date or extended due date as the case may be PROVIDED ALWAYS that the Corporation shall not be liable for any loss unless a claim for the loss is made by the INSURED to the CORPORATION in writing in the form prescribed by it within four months from the due date of payment.

वसूली की कार्रवाई और वसूली का सहभाजन (शेयरिंग)

RECOVERY STEPS AND SHARING OF RECOVERIES

6. (क) बीमाकृत संस्था को इसके अधीन किये गये दावों की निगम द्वारा अदायगी किये जाने पर बीमाकृत संस्था ऐसी सभी कार्रवाईयों करेगी जो चाहे निर्यातक/निर्माता अथवा किसी अन्य व्यक्ति से वसूलियाँ करने के लिए आवश्यक अथवा समीचीन हों अथवा जिनको वसूली करने के लिए किसी भी समय करने की निगम द्वारा अपेक्षा की जाए और ऐसी कार्रवाईयों में यदि आवश्यक हो तो कानूनी या अन्य कार्रवाईयों शुरु किया जाना भी शामिल होगा

(ख) निर्यातक/निर्माता द्वारा बीमाकृत संस्था को देय राशि के संबंध में बीमाकृत अथवा निगम द्वारा वसूली किए जाने पर वसूल की गई राशि बीमाकृत संस्था और निगम के बीच 1:2 के अनुपात में बांटी जाएगी ।

इस प्रकार वसूल की गई सारी राशियाँ बीमाकृत संस्था द्वारा या उसकी ओर से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा प्राप्त किए जाने पर उनकी निगम को तत्काल अदायगी की जाएगी और बीमाकृत संस्था एतदद्वारा यह अभिस्वीकार करती है और घोषणा करती है कि जब तक इस प्रकार की अदायगी नहीं कर दी जाती तब तक वह ऐसी राशियों को निगम के न्यासी के रूप में प्राप्त करेगी और रखेगी ।

6. (a) Upon payment by the Corporation of the amount of claim due hereunder to the INSURED, the INSURED shall take all steps which may be necessary or expedient or which the Corporation may at any time require to effect recoveries whether from the EXPORTER/MANUFACTURER or from any other person from whom such recoveries may be made including if so required, the institution of legal or other proceedings.

(b) Upon recovery by the INSURED or by the CORPORATION of any amount in respect of the amount due by the EXPORTER/MANUFACTURER to the INSURED the amount recovered shall be divided between the INSURED and the CORPORATION in the proportion of 1:2.

The INSURED shall pay all sums so recovered to the Corporation forthwith upon their being recovered by him or by any other person on his behalf, the INSURED hereby acknowledging and declaring that until such payment is made to the CORPORATION, he receives and holds such sums in trust for the CORPORATION.

प्रगटन

DISCLOSURE

7. निगम किसी भी समय बीमाकृत संस्था के कब्जे अथवा नियंत्रण में रहने वाले इस गारंटी से संबंधित या संबद्ध अथवा उसकी विषय वस्तु से संबंधित किसी पत्र, खाते अथवा अन्य प्रलेख की किसी भी समय जाँच कर सकता है या प्रतियाँ ले सकता है और बीमाकृत संस्था निगम के अनुरोध पर इस गारंटी से संबंधित अपने कब्जे की कोई भी सूचना निगम को देगा अथवा निगम को कोई ऐसी सूचना उपलब्ध कराने अथवा किसी ऐसे प्रलेख को दिलाने के लिए उचित कार्रवाई करेगा जो किसी अन्य पक्ष के कब्जे में हो ।

7. The CORPORATION may at any time examine or take copies of any letters accounts or any other documents in the possession or control of the INSURED relating to or connected with the GUARANTEE or connected with the subject matter of this GUARANTEE and INSURED shall at the request of the CORPORATION supply to the CORPORATION any information in his possession or power or take any reasonable steps to obtain for the CORPORATION any information or the sight of any documents in the possession of any third party relating to or connected with this GUARANTEE.

वसूली व्यय

RECOVERY EXPENSES

8. निर्यातक/निर्माता अथवा किसी अन्य स्रोत से वसूली करने के लिए बीमाकृत संस्था द्वारा निगम की सहमति से अथवा निगम द्वारा किया गया व्यय वसूल की गई किसी भी राशि पर प्रथम प्रभार होगा।
8. Any expenses incurred by the INSURED with the consent of the Corporation or by the Corporation for the purpose of effecting recoveries from the EXPORTER/MANUFACTURER or any other source shall be a first charge on any amounts recovered.

रद्द करना

CANCELLATION

9. निगम किसी भी समय और अपने एक मात्र विवेक से बीमाकृत संस्था को अपनी अधिकतम देयता कम करने अथवा निर्यातक/निर्माता के संबंध में गारंटी द्वारा प्रदान की गई सुरक्षा को रद्द कर सकता है और अधिकतम देयता का इस प्रकार कम अथवा गारंटी का इस प्रकार रद्द किया जाना बीमाकृत व्यक्ति द्वारा ऐसी सूचना के प्राप्त होने के तुरन्त बाद दिए किन्हीं भी ऋणों और/अथवा प्रदान किए गए अग्रिमों पर लागू होगा।
9. The CORPORATION may at any time and at its sole discretion give notice in writing to the INSURED reducing the MAXIMUM LIABILITY or cancelling the cover granted by the GUARANTEE in respect of the EXPORTER/MANUFACTURER and such reduction or cancellation shall apply to all credits given and/or advances made immediately after such notice has been received by the INSURED.

परिभाषाएँ

शोधन-अक्षमता

DEFINITIONS

INSOLVENCY

1. निर्यातक/निर्माता इस गारंटी के प्रयोजन के लिए उस समय शोधन-अक्षम माना जाएगा जब :-
- (क) उसे दिवालिया घोषित कर दिया गया हो, अथवा:
- (ख) उसने अपने लेनदारों के लाभ के लिए सामान्यतया विधिमान्य समनुदेशन, समझौता अथवा अन्य व्यवस्था कर ली हो,
- (ग) उसकी जायदाद का प्रबंध करने के लिए रिसेीवर नियुक्त कर दिया गया हो, अथवा
- (घ) यदि निर्यातक/निगमित निकाय हो तो:-
- i) उसके अनिवार्य समापन के लिए आदेश दे दिया गया हो, अथवा
- ii) स्वैच्छिक समापन के लिए प्रभावी संकल्प पारित कर लिया गया हो बशर्ते ऐसा संकल्प केवल पुनर्गठन अथवा समामेलन के प्रयोजन के लिए न हो, अथवा
- (च) न्यायालय द्वारा लेनदारों के लिए बाध्यकर व्यवस्था स्वीकृत कर दी गई हो।
1. The EXPORTER/MANUFACTURER shall be deemed to be an Insolvent for the purpose of this GUARANTEE when
- (a) he is declared bankrupt, or
- (b) he has made a valid assignment, composition or other arrangement for the benefit of his creditors generally, or
- (c) a Receiver has been appointed to manage his estate, or

- (d) if the EXPORTER/MANUFACTURER be an Incorporated body:

- (i) an order has been made for the compulsory winding up, or
- (ii) an effective resolution has been passed for the voluntary winding up, provided that such resolution is not merely for the purpose of reconstruction or amalgamation. or

- (e) an arrangement binding on all the creditors has been sanctioned by the Court.

बीमाकृत हानि

INSURED'S LOSS

2. बीमाकृत हानि का अर्थ उतना बीमाकृत ऋण होगा जितना निर्यातक की शोधन-अक्षम जायदाद पर लगाए जाने के लिए स्वीकार किया जाएगा अथवा दीर्घकालीन चूक के मामले में उतना बीमाकृत ऋण होगा जितना उससे संबंधित किन्हीं वसूलियों की गारंटी के अधीन हानि को अदायगी की तारीख तक की गई वसूलियों की पूरी राशि का हिसाब लगाने के बाद निर्यातक और बीमाकृत संस्था के बीच विवादास्पद न हो।
2. INSURED'S LOSS means so much of an INSURED DEBT as shall be admitted to rank against the Insolvent's estate of the EXPORTER, or in the case of PROTRACTED DEFAULT so much of the INSURED DEBT as shall not be in dispute between the EXPORTER and the INSURED after taking into account the whole of the amount of any recoveries relating thereto made up to date of payment of the loss payable under this GUARANTEE

वसूलियाँ

RECOVERY

3. "वसूली" का अर्थ ऐसी राशियाँ होगा जो (किसी शोधन-अक्षम जायदाद में से अदा किए गये अथवा देय लाभांशों सहित) प्रतिभतियों, क्षतिपूर्तियों, गारंटियों, कार्रवाई करने के अधिकारों, प्रति-दावों अथवा समंजनों अथवा बीमाकृत संस्था द्वारा धारित अन्य अधिकारों का लाभों या निर्यातक/निर्माता को ऋणग्रस्तता की राशि को कम करने के लिए अन्यथा उपलब्ध अधिकारों या लाभों से वसूल की जा सकती हों।
3. "Recovery" means the amount of moneys that may be realised from (including dividends paid or payable out of an insolvent estate) securities, indemnities, guarantees, rights of action, counter-claims or set off or other rights or advantages held by the Insured or otherwise available for the purpose of reducing the amount of any indebtedness of the EXPORTER/MANUFACTURER.

अनुसूची SCHEDULE

गारंटी में उल्लिखित और उसका अंग बननेवाली अनुसूची
Referred to in and forming part of Guarantee

सं. :
No. :

बीमाकृत का नाम :
Name of INSURED :

पता :
ADDRESS:

प्रस्ताव की तारीख :
Date of Proposal:

विवरण :
Description :

प्रीमियम दर :
Rate of Premium :

निर्यातक का नाम व पता :
Name and Address of
Exporter:

गारंटी की अवधि :
Period of Guarantee

दिनांक :
Date.....

जाँचकर्ता :
Checked.....